



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19564/2026

शिव कुमारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : बालेश त्रिपाठी, मनीष दुबे, सौमित्र द्विवेदी

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अधिवक्ता श्री महेश कुमार द्वारा वादी की ओर से दायर वकालतनामा को अभिलेख में लिया गया है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र द्विवेदी, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 43/2024 अंतर्गत धारा 498-ए, 302, 316, 34 आईपीसी और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, पुलिस स्टेशन मऊ, जिला चित्रकूट में, मामले के विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक और सह-आरोपी रणजीत सिंह को इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 22.05.2024 को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 8382/2024 में पारित आदेश के माध्यम से विवेचना के दौरान गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक मृतक की सास है और सह-आरोपी रणजीत सिंह मृतक का ससुर है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट आईपीसी की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज प्रथा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज की गई थी, हालांकि, चूंकि पीड़िता का सह-अभियुक्त से विवाह सात वर्ष से अधिक समय पहले संपन्न हुआ था, इसलिए आईपीसी की धारा 302 लागू की गई और आईपीसी की धारा 304-बी को हटा दिया गया। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के खिलाफ दहेज की मांग के संबंध में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं और आवेदक विवेचना /विचरण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त रणजीत सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 08.05.2026 से जेल में है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 22.05.2024 को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 8382/2024 में पारित आदेश के माध्यम से आवेदक और सह-अभियुक्त रणजीत सिंह को जांच के दौरान गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक मृतक की सास और सह-आरोपी रणजीत सिंह ससुर हैं। प्रारंभ में, आईपीसी की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज प्रथा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, हालांकि, चूंकि पीड़िता का सह-आरोपी से विवाह सात वर्ष से अधिक समय पहले संपन्न हुआ था, इसलिए आईपीसी की धारा 302 लागू की गई और आईपीसी की धारा 304-बी हटा दी गई। आवेदक विवेचना /विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। आवेदक के विरुद्ध दहेज की मांग के संबंध में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, जबकि मृतक के पति सह-आरोपी राहुल के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं। मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व गला घोटने से हुई घुटन बताया गया है। सह-अभियुक्त रणजीत सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 8 मई 2026 से जेल में बंद है।

7. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** जो 2024 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 6765 में रिपोर्ट किया गया, में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **शिव कुमारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो जमानती और निजी मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, चित्रकूट के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026